

# 11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 4756

/12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल, 25/2022

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता,  
लोक निर्माण खण्ड, धराली।

विषय:-

फारकोट से डुडवागाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.61 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है का अवलोकन करने पर निम्न कमियाँ पायी गयी है:-

- 1- मोटर मार्ग के के0एम0एल0 फाईल में मोटर मार्ग एवं लम्बावित्त गांवों को दर्शाया नहीं पाया गया। के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखण तथा लम्बावित्त होने वाले गांवों को भी दर्शाया जाय।
- 2- Parvesh protal में अधुरे प्रस्ताव अपलोड किये गये है।
- 3- एफ0आर0ए0 में उप जिलाधिकारी समिति में दिनांक अंकित नहीं किये गये है।
- 4- प्रस्तावित मोटर मार्ग से राष्ट्रीय पार्क एवं केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की हवाई दूरी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये गये है।
- 5- मक डिस्पोजल प्लान में मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का आंकलन बहुत कम किया गया है, मक डम्पिंग यार्ड पर किमी0 1 लिया गया है, जबकि प्रति किमी0 में 2 मक डम्पिंग यार्ड लिये जाने चाहिए, जिससे मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवे का सम्पूर्ण समायोजन सही ढंग से मक डम्पिंग में हो सके।
- 6- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या में दिनांक रिक्त है।
- 7- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल सिविल भूमि का नजरी नक्शा भी प्रस्ताव में संलग्न करे।
- 8- आम सभा अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं है।
- 9- आरक्षित लैण्ड शैण्डयूल प्रपत्र में आरक्षित कम्पाटमेन्ट में लम्बाई 1350 दर्शायी गयी है जबकि उक्त मोटर मार्ग दो आरक्षित कम्पाटमेन्ट प्रभावित हो रहे प्रपत्र में दोनो कम्पाटमेन्ट के अलग अलग लम्बाई दर्शाये, तथा म डिस्पोजल हेतु लिये गये भूमि का नाम व लम्बाई व चौड़ाई भी दर्शाये।
- 10- सिविल लैण्ड शैण्डयूल प्रपत्र में खसरा नं0 अंकित किया गया है जो सही प्रतीत नहीं होता है। की जांच करे।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय से प्राप्त करते हुए उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन करते हुए प्रस्ताव का पुनः पूर्ण अवलोकन करने के उपरान्त ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि प्रस्ताव में त्वरित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
वद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।